राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 02586/2018

महावीर सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. सामान्य पुलिस निदेशक, राजस्थान, जयपुर।
2. कमांडेट 8वीं बटालियन आरएसी (आईआर) गाजीपुर–दिल्ली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.07.2018
आदेश की दिनांक : 16.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री आर.के. निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में निवेदन किया है कि अपीलार्थी प्लाटून कमाण्डर 'सी' कम्पनी, आठवी बटालियन आ.ए.सी. (आई.आर) गाजीपुर, दिल्ली से आदेश दिनांक 31.05.2017 (अनुलग्नक–1) द्वारा अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने पर , राज्य सेवा से सेवानिवृति आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी की सेवानिवृति के बाद, अपीलार्थी को उपार्जित अवकाश आदेश संख्या 3830–32 दिनांक 14.06.2017 (अनुलग्नक–2) के तहत भुगतान स्वीकृत किया गया तथा इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा दूसरा आदेश दिनांक 24.07.2017 (अनुलग्नक–3) को जारी किया गया जिसके द्वारा कहा गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध कोई विभागीय जांच लंबित है इसलिए उपार्जित पी.एल. में नकदीकरण का के बदले भुगतान नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी ने इसके संबंध में दिनांक 10.08.2017 (अनुलग्नक–4) एवं दिनांक 06.09.2017 (अनुलग्नक–5) को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जिसमें अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी के संबंध मे कोई विभागयी जांच लंबित नहीं है। इसके बावजूद उसकी पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ रोक दिए गए है, जिससे अपीलार्थी को बहुत परेशानी हो रही है। अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रोविजनल पेंशन

स्वीकृत की गई है और पेंशन राशि का भुगतान अप्रैल 2018 से किया गया है। अपीलार्थी सेवानिवृत हो चुका है अपीलार्थी को अभी तक सीसीए नियमों के तहत कोई आरोप पत्र प्राप्त नहीं हुआ है एवं उसको पूरी पेंशन ग्रेज्यूटी एवं उपार्जित नकदीकरण भुगतान नहीं करने बाबत कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलार्थी ने 19.06.2018 को न्याय की मांग कर नोटिस प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–6)। अपीलार्थी अपने वेतन एवं पेंशन को सातवें वेतन आयोग की अभिशंषानुसार दिनांक 01.01.2017 से संशोधित एवं पुर्ननिर्धारित कराने का अधिकार है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृति दिनांक 31.05.2017 (अनुलग्नक–1) से पूर्ण पेंशन का लाभ दिलाया जावे तथा अपीलार्थी के वेतन को संशोधित करने और सातवें वेतन आयोग की अभिशंषा के अनुसार बकाया राशि का भुगतान मय ब्याज तथा सेवानिवृति लाभों का भुगतान 9 प्रतिशत ब्याज सहित किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 90 के तहत पुलिस मुख्यालय स्तर पर पिभागीय जांच निचाराधीन होने के कारण नियमानुसार प्रोविजनल पेंशन के लिये प्रकरण तैयार कर निदेशालय पेंशन विभाग, राज. जयपुर को प्रेषित किया गया है। निदेशालय पेंशन विभाग राज. जयपुर के कार्यालय के पत्र दिनांक 03.01.2018 के द्वारा अपीलार्थी को प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत की गयी है तथा राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम– 1996 के नियम–90(ग) के तहत ग्रेच्यूटी का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी के उपार्जित अवकाश का भुगतान बिल संख्या 635 दिनांक 13.10.2017 के तहत राशि 589585/– रूपये का एवं पुनरीक्षित वेतनमान 2017 का एरियर बिल संख्या 74 दिनांक 13.04.2018 के तहत राशि रूपये 97925/– का भुगतान किया जा चुका है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन व आधारहीन होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी को सेवानिवृति तिथि से पूरी पेंशन भुगतान करना और अपीलार्थी को अन्य सेवानिवृति परिणाभों का 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान का किये जाने का अनुतोष चाहा है। साथ ही अपीलार्थी 7वें

वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार वेतन संशोधित किया जाकर और एरियर का भुगतान ब्याज सहित किया जाने का अनुतोष चाहा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की दिनांक 31.05.2017 को अधिवार्षिक सेवा पूरी होने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत हो गया है। अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जॉच विचाराधीन होने के कारण ततसमय पेंशन और सेवानिवृति परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड एवं उभय पक्ष के कथनों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को प्रोविजनल पेंशन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के बहस के दौरान अवगत कराया कि अपीलार्थी को उसके खाते में जमा उपार्जित अवकाश का भी नकद भुगतान किया गया है। जी.पी.एफ. का 50 प्रतिशत राशि एवं ग्रेच्युटी की 50 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा चुका है। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.07.2018 द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान नियम 2017 में मूल वेतन 67000/– रूपये और महंगाई भत्ता 5 प्रतिशत पर वेतन नियतन किया जा चुका है। उक्त तथ्यों के आलोक में अपील में कोई अनुतोष नियमानुसार दिया जाना शेष नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य